

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय लोक अदालत में राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में 426 मामलों का
हुआ निस्तारण

लखनऊ : 09 मई, 2026

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश एवं प्रदेश के समस्त जिला उपभोक्ता आयोगों में दिनांक 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई।

आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोग में कुल 27 मामले सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 16 मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल 1,43,04,702 रुपये की धनराशि का समाधान (Settlement) कराया गया।

इसी प्रकार प्रदेश के समस्त जिला उपभोक्ता आयोगों में कुल 803 मामले सूचीबद्ध हुए, जिनके सापेक्ष 410 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल 12,64,09,209.3 रुपये की धनराशि का समाधान (Settlement) कराया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग बस्ती द्वारा सर्वाधिक 39 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि जिला उपभोक्ता आयोग गौतम बुद्ध नगर द्वारा सर्वाधिक 2,92,96,712 रुपये की धनराशि का समाधान (Settlement) कराया गया।

सम्पर्क सूत्र— अमरेश कुमार

राम यतन/06:35 PM